



जालौन पुलिस



Operation Conviction

अपहरण एवं दुष्कर्म के अभियोग में 01 अभियुक्त 20 वर्ष के कारावास एवं 28,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित ।

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक महोदय, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान “**OPERATION CONVICTION**” के अन्तर्गत अपर पुलिस महानिदेशक महोदया, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ द्वारा प्रारंभ की गई **पैरवी अधिकारी स्कीम** के अंतर्गत जालौन पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय (एडीजे/पॉक्सो कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा एवं जुर्माने से दण्डित किया गया ।

कोतवाली जालौन पर पंजीकृत मु0अ0सं0 262/21 धारा 363/366, 376 (3) भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त अंशू उर्फ अनिल पुत्र लला कंजे लुहार निवासी मु0 मुरलीमनोहर कस्बा व थाना जालौन जनपद जालौन को माननीय न्यायालय (एडीजे/ पॉक्सो कोर्ट उरई) जनपद जालौन द्वारा **20 वर्ष के कारावास एवं 28,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है ।



श्री वृजराज सिंह
राजपूत ADGC



श्री विश्वजीत सिंह
ADGC



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 सतेन्द्र राजपूत
कोट0 पैरोकार